(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी पकरण कमांक 1660/दो/2013/ विरूद्ध आदेश, दिनाक 31.05.2012 पारित द्वारा तहसीलदार रघुराजनगर के प्रकरण कमांक 184/अ–74/11–12 एवं मान. उच्च. न्याया. के आदेश दिनांक 22.08.2008 के पालन कराये जाने हेतु।

मुस. फूलकुमारी ब्रा0 (मृत) द्वारा वारिसान पुत्र हीरालाल मिश्रा
पुत्र स्व0 श्री रामचरण मिश्रा उम्र 68 साल निवासी पुरानी सब्जी
मण्डी के पास आजाद चौक तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0।

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन।

.....अनावेदक

श्री पी0के0 तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
मध्य प्रदेश शासन, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/03/2016 को पारित)

१/ यह निगरानी तहसीलदार रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 184/अ–74/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2012 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत मान. उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 1005/08 में पारित आदेश दिनांक 22.8.08 का पालन कराये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है ।

२/ प्रकरण का सारांश इस प्रकार है.

मौजा अमोघाकला, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना की आ.नं. ३४४ एवं ३४६ कुल किता २ रकबा ३.०८ एकड़ श्यामलाल चमार वगैरह (रा मं के पूर्व प्र क्र निग १६७२-दो/०७ में आवेदकगण) के पक्ष की पूर्व में रही थी जिसके आधार पर उनका पक्ष उस भूमि का भूमिस्वामी रहा था.

उक्त आराजी को रा मं के इस प्रकरण के आवेदकपक्ष फूलकुमारी/ हीरालाल मिश्रा ने, जिनके पक्ष के व्यक्ति रा मं के पूर्व प्र क्र निग १६७२-दो/०७ में पारित आदेश दि २२-७-०८ में लिखे अनुसार) गाँव के जमींदार और सरपंच भी रहे, पहले मगना और फिर फूलकुमारी के नाम दर्ज करा लिया. उनके हित में न्या. ना.तह., वृत्त रैगांव के प्र क्र २६३/बी-१२१/७८-७९ में पारित आदेश दि १६-११७९ द्वारा पारित निर्णय के आधार पर हुई प्रविष्टियों का सही तरीके से किया गया होना या नहीं होना प्रश्नाधीन है.

श्यामलाल वगैरह द्वारा आवेदकपक्ष के हित में राजस्व अभिलेख में हुई उक्त प्रविष्टियों के विरोध में अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर के समक्ष आवेदन दिया गया, जिस पर अनु अधि ने दि २८-३-०६ को वह आवेदन निरस्त तो किया किन्तु तहसीलदार, रघुराजनगर के प्र क्र २६३/बी-१२१/७८-७९ के आदेश दि १६-११-७९ की छायाप्रति के परिशीलन से यह प्रथमदृष्टया पाते हुए कि

अभिलेख का संशोधन मात्र शपथपत्र के आधार पर कराया गया है, तहसीलदार, वृत्त रैगांव को उक्त प्रकरण का परीक्षण कर विधिसम्मत कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश भी साथ में दिए.

तदुपरांत नायब तहसीलदार, वृत्त रैगांव से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनु अधि ने अपने आदेश दि ७-५-०७ से, यह आधार लेते हुए कि (रा मं के इस प्रकरण के) आवेदकपक्ष का अभिलेख में नाम दर्ज किये जाने के पूर्व तत्कालीन अधिकारीयों ने मूल प्रकरण नहीं देखा था जो देखना आवश्यक था और खतौनी बंदोबस्त में भी काटपीट है अतः प्रविष्टियों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, अपने अधीनस्थ न्या को उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर वहां के धारा ११५, ११६ के पूर्व के प्र क्र २६३/बी-१२१/७८-७९ के पुनर्विलोकन की अनुमति दी.

इस पर ना.तह., वृत्त रैगांव ने उनके प्र क्र ३५/अ६अ/०६-०७ (संलग्न प्र क्र २६३/बी-१२१/७८-७९) में आदेश पत्रिका पर दि ८-५-०७ को यह लिखते हुए कि अनु अधि के आदेश दि ७-५-०७ के आधार पर उनके न्या. के प्र क्र २६३/बी-१२१/७८-७९ के आदेश दि १६-११-७९ को वैधानिकता की श्रेणी में नहीं रखा है, उस आदेश दि १६-११-७९ के पूर्व की स्थिति अभिलेख में दर्ज करने का आदेश ओपत्वारी को दिया और पक्षकरों को तलब करने का आदेश भी लिखा.

इन आदेशों के विरुद्ध अपर आयुक्त, रीवा के समक्ष निगरानी हुई, जहाँ प्र क्र ४७२/निग/०६-०७ में पारित आदेश दि २९-९-०७ से अनु अधि का आदेश दि ७-५-०७ और ना.तह. का आदेश दि ८-५-०७ निरस्त किये गए.

अपर आयुक्त के उक्त आदेश दि २९-९-०७ के विरुद्ध रा मं में प्र क्र १६७२/दो/०७ दर्ज हुआ जिसमें पारित आदेश दि २२-७-०८ से अपर आयुक्त का आदेश निरस्त हुआ.

रा मं के इस आदेश के विरुद्ध आवेदकपक्ष ने मान. उच्च न्या. में रिट याचिका क्र १००५/०८ दायर की जिसमें पारित आदेश दि २२-८-०८ में उत्तरवादियों को नोटिस जारी किये जाने के अतिरिक्त वादभूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने के बाबत लिखा है

("meanwhile the parties are directed to maintain status quo in respect of land in dispute").

मान. उच्च न्या. में रिट याचिका क्र १००५/०८ में पारित वादभूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने के उक्त आदेश दि २२-८-०८ के आधार पर आवेदकपक्ष ने तहसीलदार, रघुराजनगर के समक्ष उसके पालन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिसपर तहसीलदार ने उनके प्र क्र १८४/अ-७४/११-१२ में पारित आक्षेपित आदेश दि ३१-५-१२ से वाद से सम्बंधित आ. नं. ३४४ एवं ३४६ मौजा अमौघाकला की भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि में 'स्टेटस को मेन्टेन' लिखे जाने का आदेश पारित किया.

३/ प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों के संबंध में आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गये तथा उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को का भी अवलोकन किया गया। उनके द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने पूर्व प्रकरण कमांक निग0 1672/दो/07 में पारित आदेश दिनांक 22.7.08 से अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 472/निग./06–07 में पारित आदेश दिनांक 29.9.07 को निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की गयी थी। मान. राजस्व मण्डल के उक्त आदेश दिनांक 22.7.08 को मान. उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.8.08 से स्थगित किया जाकर विवादित भूमि के संबंध में पूर्व स्थिति कायम रखने के साथ उभयपक्ष को "स्टेटस को मेन्टेन" रखने के आदेश दिए गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 22.8.08 से अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 29.9.07 प्रभावशील हो जाने से अपर आयुक्त के आदेश के अनुपालन में मान. उच्च न्यायालय से प्रकरण के अंतिम निराकरण होने तक पटवारी अभिलेख में पूर्व स्थिति कायम करने की कार्यवाही करने के आदेश दिए जाने के निर्देश तहसीलदार को दिए जाने का निवेदन किया गया है और यह भी निवेदन किया गया है कि ऐसा करने पर ही स्टेटस कायम रहेगा। निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अनावेदक म प्र शासन की ओर से तर्क प्रस्तुत नहीं हुए. उनके पक्ष के बिंदु इस तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर विचार में लिए जा रहे हैं.

४/ तर्कों के प्रकाश में और अभिलेखों के परिशीलन के आधार पर निम्न टीप- एवं विचार-योग्य बिंदु इस प्रकरण में मुख्य रूप से मेरे समक्ष आए हैं:

(क) मान. उच्च न्या. की रिट याचिका क्र १००५/०८ में पारित आदेश दि २२-८-०८ में उत्तरवादियों को नोटिस जारी किये जाने के अतिरिक्त वादभूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने के बाबत लिखा है ("meanwhile the parties are directed to maintain status quo in respect of land in dispute").

किसी अन्य आदेश के स्थगित या निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में मान. उच्च. न्या. के इस आदेश में कोई लेख नहीं है, ना ही आवेदकपक्ष ने किसी अन्य आदेश के स्थगित या निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट सक्षम आदेश या निर्देश इस न्यायालय के समक्ष पेश किया है.

(ख) मान. उच्च न्या. में रिट याचिका क्र १००५/०८ में पारित वादभूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने के उक्त आदेश दि २२-८-०८ के आधार पर आवेदकपक्ष के आवेदन पर तहसीलदार, रघुराजनगर ने मान. उच्च न्या. उक्त आदेश के पालन के लिए उनके प्र क्र १८४/अ-७४/११-१२ में पारित आक्षेपित आदेश दि ३१-५-१२ से वाद से सम्बंधित आ. नं. ३४४ एवं ३४६ मौजा अमौघाकला की भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि में 'स्टेटस को मेन्टेन' लिखे जाने का आदेश पारित किया.

५/ उपरोक्त के प्रकाश में मेरा इस बाबत पूरा समाधान हो गया है कि चूँकि मान. उच्च न्या. की रिट याचिका क्र १००५/०८ में पारित आदेश दि २२-८-०८ में उत्तरवादियों को नोटिस जारी किये

जाने के अतिरिक्त केवल वादभूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने के बाबत लिखा गया था ("meanwhile the parties are directed to maintain status quo in respect of land in dispute"), किसी अन्य आदेश के स्थगित या निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में मान. उच्च. न्या. के इस आदेश में कोई लेख विद्यमान नहीं था, और आवेदकपक्ष ने किसी अन्य आदेश के स्थगित या निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट सक्षम आदेश या निर्देश तहसील तथा इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया, अतः मान. उच्च न्या. के उक्त आदेश के आधार पर और उसके पालन में तहसीलदार, रघुराजनगर ने उनके प्र क्र १८४/अ-७४/११-१२ में पारित आक्षेपित आदेश दि ३१-५-१२ से जो वाद से सम्बंधित आ. नं. ३४४ एवं ३४६ मौजा अमौघाकला की भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि में 'स्टेटस को मेन्टेन' लिखे जाने का आदेश पारित किया, उससे मां. उच्च नया. के आदेश दि २२-८-०८ का पालन प्रथमदृष्टया हो जाता है.

६/ केवल प्रकरण में यह बिंदु शेष बचता है कि मान. उच्च न्या. का विषयांकित आदेश जब दि २२-८-०८ का था, तो 'स्टेटस को' या यथास्थिति भी उसी दिनांक की स्थिति के अनुसार स्पष्ट तौर पर बनाई जानी चाहिए थी, भले ही आवेदकपक्ष ने इस सम्बन्ध में अपना आवेदन तहसीलदार को मान. उच्च न्या. के आदेश के तुरंत बाद न भी दिया हो तो भी. इस परिप्रेक्ष्य में मेरा यह मानना है कि तहसीलदार को मान. उच्च न्या. के विषयांकित आदेश दि २२-८-०८ का पालन करने/ कराने वाले आदेश में इस बिंदु को स्पष्ट करना चाहिए था कि 'स्टेटस को' या यथास्थिति भी उसी दिनांक यानि २२-८-०८ की स्थिति के अनुसार ही मेन्टेन की जा रही है, जो उन्होंने समुचित खुलासे के साथ नहीं किया.

७/ अतः, मैं पूर्ण विचारोपरांत तहसीलदार, रघुराजनगर को यह निर्देश देता हूँ कि यदि उन्होंने मान. उच्च न्या. के विषयांकित आदेश दि २२-८-०८ की दिनांक की स्थिति के अनुसार विषयांकित भूमियों के राजस्व अभिलेखों की 'स्टेटस को' या यथास्थिति सुनिश्चित नहीं की हो, तो वे उसे उस आदेश की दि २२-८-०८ की स्थिति के अनुसार ही स्पष्ट तौर पर बनाना (और मान. उच्च न्या. के

अन्य किसी आगामी आदेश तक बनाए रखना) सुनिश्चित करें, जो वे उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम २ सप्ताह में अनिवार्यतः सुनिश्चित करें, और तदनुसार अपने न्या. के प्र क्र १८४/अ-७४/११-१२ में भी स्पष्ट लेख करें. यह कार्यवाही पूर्ण होने तक के लिए उनका आक्षेपित आदेश दि ३१-५-१२ प्रभावहीन रहेगा.

यदि तहसीलदार, रघुराजनगर ने अपने न्या. के प्र क्र १८४/अ-७४/११-१२ में पारित आदेश दि ३१-५-१२ से मान. उच्च न्या. के आदेश दि २२-८-०८ की दिनांक की स्थिति के अनुसार विषयांकित भूमियों के राजस्व अभिलेखों की 'स्टेटस को' या यथास्थिति सुनिश्चित पहले से ही की हुई हो, तो वे केवल तदनुसार अपने न्या. के प्र क्र १८४/अ-७४/११-१२ में आगे स्पष्ट लेख कर लें. ऐसी स्थिति में उनका आक्षेपित आदेश दि ३१-५-१२ निरंतर प्रभावशील माना जाएगा.

तहसीलदार, रघुराजनगर को उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी रा मं से समाप्त की जाती है.

आदेश पारित.

पक्षकार एवं तहसीलदार, रघुराजनगर सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर